न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2024/411

मिसल नम्बर–112 / 2024

1.धनराज उम्र 54 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़

2.शंकरलाल उम्र 63 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़

3.शिवराज उम्र 57 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़

4.बसन्ती बाई उम्र 60 वर्ष पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.गोपाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा

2.रामलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा

3.जानकीलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा मृतक जरिये कायम मुकामान

3 / 1.नरेश पुत्र जानकीलाल जाति मीणा जाति मीणा

3 / 2.भवानीशंकर पुत्र जानकीलाल जाति मीणा

3 / 3.राकेशी पुत्री जानकीलाल जाति मीणा

3 / 4.विमला पुत्र जानकीलाल जाति मीणा

3 / 5.राजू बाई पत्नी जानकीलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम कादीहेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

4.प्रेमबाई पुत्री धन्नालाल जाति मीणा मृतक जरिये कायम मुकामान

4 / 1.रामहेतार पुत्र गोपाल जाति मीणा

4 / 2.जगदीश पुत्र गोपाल जाति मीणा

4 / 3.कमलेश पुत्र गोपाल जाति मीणा

4 / 4.तुलसा पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम गिरधरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

5.शम्भू पुत्र धन्नालाल जाति मीणा मृतक जरिये कायम मुकामान

5 / 1.सीताबाई पत्नी शम्भू जाति मीणा

6.मोतीलाल पुत्री हीरालाल जाति मीणा

7.दाखा बाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम कादीहेड़ा तहसील लाडपुरा कोटा

8.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 30/03/2026

उपस्थिति:–

1.श्री रघुवीर सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

2.श्री अवधेश कुमार गौतम अप्रार्थी नं0 1 व 2 अधिवक्ता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की अन्य आराजियात के साथ ख0नं0 351 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार मालिक व काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण के खाते की उक्त आराजी ख0नं0 351 रकबा 0.95 है0 आराजी पर कृषि कार्यों हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य उपकरण एवं कृषि उपज लाने व ले जाने के लिए पूर्वजो के समय से कादीहेड़ा भाण्डाहेड़ा रोड से ख0नं0 349 की उत्तरी मेड से सहारे सहारे स्थित रास्ते से अपनी खातेदारी की भूमि में जाते रहे है। ख0नं0 349 के खातेदारान प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण को उक्त खेत की उत्तरी मेड के सहारे स्थित रास्ते से नही निकलने दे रहे है। प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को मुड्डियां लगाकर तारबंदी करके अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थीगण की कृषि कार्य करने हेतु आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया हैं। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलासा करने का निवेदन किया तो वहां पर प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा गया इसलिय प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के अन्तर्गत स्थायी रूप से रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख0नं0 351 कृषि कार्यो के लिये आने जाने के लिय रास्ता ख0नं0 349 की उत्तरी रोड के सहारे से सदैव से कायम चला आ रहा है जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते की उपरोक्त आराजी पर आते जाते हैं प्रतिपक्षीगण के खाते की जितनी भी भूमि रास्ते हेतु उपयोग की जाती है उसकी मुआवजा राशि प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण को माननीय न्यायालय के आदेश से नियमानुसार देने को तैयार एवं तत्पर है क्योंकि प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते की अतिरिक्त प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। ख0नं0 349 के खातेदार जानकीलाल पुत्र धन्नालाल, प्रेमबाई पुत्री धन्नालाल, नारायणी पत्नी धन्नालाल एवं शम्भू पुत्र धन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है इसलिये उनके कायम मुकामान बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 351 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा कोटा की कृषि भूमि पर काश्तकारी प्रयोजन हेतु ख0नं0 349 की उत्तरी मेड से सहारे सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम कर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर प्रार्थीगण के खाते की आराजी तक जाने के लिए रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 4 लगायत 9 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि खसरा नं0 349 प्रतिपक्षीगण 1 व 2 व अन्य सहखातेदारान की निजि खातेदारी की भूमि है जिसकी उत्तरी मेड पर कभी कोई आम रास्ता नही रहा है ना कभी प्रार्थीगण द्वारा उत्तरी मेड पर बताये गये रास्ते का उपयोग अपने कृषि कार्य हेतु किया गया है। प्रार्थीगण अपने खाता आराजी खसरा नं0 351 में आने जाने का उपयोग अपने कृषि कार्य हेतु करते आ रहे है जिसमें प्रार्थीगण खसरा नं0 365 सरकारी रास्ते से होते हुये खसरा नं0 362 की मेड से होते हुये खसरा नं 323, 700/559, 359, 331, 332, 353 एवं सरकारी भूमि खसरा नं0 352 की मेड से होते हुये अपने खाते आराजी खसरा नं0 351 पर पहुचते है तथा बरसों से इसी वैकल्पिक रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण अपने कृषि कार्य हेतु करते आ रहे है। प्रतिपक्षीगण के खाते आराजी खसरा नं0 349 की उत्तर की ओर ख0नं0 354/634 की दक्षिणी मेड पर एक तलाई खुदी हुई है जिसकी दक्षिणी पाल लगभग 30 फुट चौड़ी है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपने कृषि आराजी खसरा नं0 351 पर आ जा सकते है एवं रास्ता दिया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 19.06.2025 को प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि मौका स्थित अनुसार ख0नं0 549 से ख0नं0 349 की उत्तरी मेड पर तारबंदी कर रखी है तथा ख0नं0 349 के लगवा ख0नं0 354/634 की मिट्टी पड़ी हुई है। खातेदारान द्वारा बताया गया कि ख0नं0 351 के खातेदार ख0नं0 549 से होते हुए ख0नं0 349 के उत्तरी मेड से होकर आते जाते है। वर्तमान में ख0नं0 349 के उत्तरी मेड पर तारबंदी होने के कारण रास्ता अवरूद्ध हो गया है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण ख0नं0 351 पर जाने हेतु ख0नं0 352, 353 की पश्चिमी मेड का अधिकतर प्रयोग करते थे परन्तु खडी फसल होने पर ही ख0नं0 349 व ख0नं0 354/634 की मेड के दोनों तरफ ट्रेक्टर से आते जाते थे। लेकिन वादीगण द्वारा मांगे गए अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता ख0नं0 349 से नही दिया जाएगा। वादीगण ख0नं0 351 पर जाने हेतु ख0नं0 349 की उत्तरी मेड व ख0नं0 354/634 की दक्षिणी मेड दोनो का बराबर हिस्सा उपयोग कर सकता है, लेकिन ख0नं0 349 से 20 फुट रास्ता नही दिया जाएगा। वादीगण द्वारा खसरा नं0 351 पर जाने हेतु रास्ता ख0नं0 349 से चाहा जा रहा है। वादीगण का इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हमने उभय पक्षकारों के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि खसरा नं0 351 पर आने जाने हेतु खसरा नं0 349 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे 20 फीट चोड़ा रास्ता दिया जावे। अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण वैकल्पिक मार्ग से अपने खाते आराजी खसरा नं0 351 पर पहुचते है तथा बरसों से इसी वैकल्पिक रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण अपने कृषि कार्य हेतु करते आ रहे है। प्रतिपक्षीगण के खाते आराजी खसरा नं0 349 की उत्तर की ओर ख0नं0 354/634 की दक्षिणी मेड पर एक तलाई खुदी हुई है जिसकी दक्षिणी पाल लगभग 30 फुट चौड़ी है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपने कृषि आराजी खसरा नं0 351 पर आ जा सकते है।

अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से की आपत्ति के परिपेक्ष्य में तहसीलदार लाडपुरा से खसरा नं0 351 पर पहुॅच हेतु वैकल्पिक मार्ग के संबंध में स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से दिनांक 30.12.2025 को रिपोर्ट पेश की गई। दिनांक 30.12.2025 की रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अंकित किया गया है कि मोके पर उक्त आराजी खसरा नं0 351 पर पहुॅचने हेतु खसरा नं0 352 व 353 की पश्चिमी मेड पर कोई रास्ता वर्तमान में नही है। तथा खसरा नं0 354/634 की दक्षिणी पश्चिम सीमा पर पोण्ड (तलाई) बनी होने से खसरा नं0 354/634 की दक्षिणी मेड से जाना सम्भव नही है। अतः खसरा नं0 351 पर जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नं0 349 की उत्तरी मेड जो खसरा नं0 354/634 से गली हुई है, से दिया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त खसरा नं0 351 पर पहुॅचने का कोई वैकल्पिक मार्ग नही है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संशोधित धारा 251–क से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। राजस्थान राजपत्र, सितम्बर 06, 2023 के अनुसार **1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा (1) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर," प्रतिस्थापित की जायेगी।**

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं उसके जवाब, तहसीलदार रिपोर्ट तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

द्वारा खसरा नं0 351 पर जाने हेतु रास्ता ख0नं0 349 से चाहा जा रहा है। वादीगण का इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अप्रार्थीगण की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण वैकल्पिक मार्ग से अपने खाते आराजी खसरा नं0 351 पर पहुचते है एवं खसरा नं0 349 की उत्तर की ओर ख0नं0 354/634 की दक्षिणी मेड पर एक तलाई खुदी हुई है जिसकी दक्षिणी पाल लगभग 30 फुट चौड़ी है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपने कृषि आराजी खसरा नं0 351 पर आ जा सकते है।

अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की आपत्ति पर पुनः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कथन किया है कि मोके पर उक्त आराजी खसरा नं0 351 पर पहुॅचने हेतु खसरा नं0 352 व 353 की पश्चिमी मेड पर कोई रास्ता वर्तमान में नही है। तथा खसरा नं0 354/634 की दक्षिणी पश्चिम सीमा पर पोण्ड (तलाई) बनी होने से खसरा नं0 354/634 की दक्षिणी मेड से जाना सम्भव नही है। अतः खसरा नं0 351 पर जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नं0 349 की उत्तरी मेड जो खसरा नं0 354/634 से गली हुई है, से दिया जाना उचित होगा।

अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 का यह भी कथन रहा है कि यदि प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक आने जाने हेतु रास्ता दिया जाता है कि तो खसरा नं0 349 एवं 354/634 की मध्य की मेड पर दोनो तरफ रास्ता दिया जावे। परन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह स्पष्ट कथन किया है कि खसरा नं0 354/634 की दक्षिणी पश्चिम सीमा पर पोण्ड (तलाई) बनी होने से खसरा नं0 354/634 की दक्षिणी मेड से जाना सम्भव नही है। खसरा नं0 351 पर आने जाने के लिए खसरा नं0 349 की उत्तरी मेड के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। जिस कारण से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 351 तक पहुॅच हेतु रास्ते का आत्यान्तिक अभाव है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 351 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसील द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 349 में से 4 मीटर चौडाई में मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर **1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन** के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के **समान कीमत की भूमि का अंतरण अप्रार्थीगण की भूमि से लगी हुई भूमि में किया जावे।** तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एवं नक्शा लट्ठा में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा